

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13600/2025

Rahul S/o Late Shri Rakesh, R/o Madhumadhvi Halka, Police
Station Bhiwani Sadar, District Bhiwani.
(At Present Confined In Sub Jail Behror)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bharat Yadav
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Pradeep Kumar Sharma

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

10/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 214/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 305(a) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त परिवादी की पत्नी के बुआ का पोता है और जब वह उनके घर आया हुआ था तो उस पर यह आरोप लगाया गया कि वह उनके जेवरात बैग में से उठाकर ले गया और उनमें से 19 तोला जेवरात उसने Muthoot Finance Gold Loan में गिरवी रखा और 6 तोला जेवरात अपने पास रखा। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है, वह लंबे समय से अभिरक्षा में है, विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त का 25 तोला जेवरात की चोरी का आरोप है। 19 तोला जेवरात गिरवी रखा गया है तथा 6 तोला जेवरात अपने पास रखा हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 2 अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर 25 तोला सोना चोरी करने का आरोप है, जिसमें से 19 तोला सोना गिरवी रखा जाना बताया गया है और 6 तोला सोना जेवरात प्रार्थी/अभियुक्त के पास होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है तथा वह लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त पर केवल मात्र एक चोरी के अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **राहुल पुत्र स्व. श्री राकेश** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बन्ध-पत्र तथा **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यदि प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपराध कारित किया जाता है तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त

आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J